

5<sup>07</sup> रूप

पत्रावली पैश हुई। प्रार्थिगण व वकील प्रार्थिगण उपस्थित नहीं। इनके अनुपस्थित रहने के कारण प्रार्थना-पत्र से संबंधित मूल दावा अदम पैशवी अदम झुपरी में खारिज हो चुका है जिससे यह प्रार्थना-पत्र भी अब भागे चलने योग्य नहीं है।

अतः यह प्रार्थना-पत्र भी इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली निर्णय में शुमार की जावे तथा तस्वीब तकमिल की जाकर दारिबल दारहर की जावे।